

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

खिलाफ : विरुद्ध

बनाम

विरुद्ध

मुकदमा






नं०

नं०

०७

सन्

२०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
12 2024	पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ संघ द्वारा स्थायिक कार्य सम्पन्न करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/12/24 को पेश की जावे। 	
26 2024	पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ अन्तर्गत होने से अधीनस्थ स्थायिक कार्य सम्पन्न करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/01/25 को पेश की जावे। 	
15/01 2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। परीकार सरकार द्वारा चिरह दैतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्तु चिरह दिनांक 28/01/2025 को पेश हो। 	
28/01 2025	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य अवसर होने से..... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/01/25 को पेश की जावे। 	
20/01 2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादीगण की ओर से प्रारम्भ आदेश 23 नियम 1 दी. प्र. सं. प्रस्तुत कर वाद पत्र को विद्वी कर नया वाद-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया। वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर विद्वी में खारिज की जाती है। वादी नया वाद-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से फग की जाकर शामिल दफ्तर हो। 	

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चिन्नीडाढ़)